

नियम 120 : कार्यवाहियों में लागत का अधिनिर्णय

- (1) जब कभी अपील अधिकरण उचित समझे, वह प्रत्यर्थी या चूककर्ता पक्ष के विधिक व्ययों को पूरा करने के लिए लागत का अधिनिर्णय कर सकेगा।
 - (2) अपीलीय न्यायाधिकरण उपयुक्त मामलों में अपीलकर्ता या प्रतिवादी को दूसरे पक्ष के मुकदमे का खर्च वहन करने का निदेश दे सकता है, और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामले में, चूककर्ता पक्ष पर अनुकरणीय लागत लगा सकता है।
-